दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

ज़मानत अर्ज़ी 2898/2021

निर्णय की तिथि:- 7 सितंबर, 2021

के मामले में:-

सिद्धांत कुमार ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री इंद्रपाल खोखर, अधिवक्ता

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) ...प्रत्यर्थी

द्वारा: राज्य की अति.लो.अभि. सुश्री कुसुम ढल्ला के साथ निरी. फतेह सिंह थाना फतेहपुर बेरी

कोरम:

माननीय न्यायाधीश श्री सुभ्रमोणयम प्रसाद

न्या., सुभ्रमोणयम प्रसाद

1. यह आवेदन दं.प्र.सं. की धारा 439 के तहत भा.दं.सं. की धारा 304बी और 498ए के अंतर्गत अपराधों के लिए थाना फतेहपुर बेरी में दर्ज प्राथमिकी सं. 316/2020 दिनांक 18.08.2020 में ज़मानत देने के लिए है।

2. अभिलेख पर मौजूद तथ्य से यह पता चलता है कि 13.08.2020 को सहा.उप.नि. राजकुमार द्वारा एक टेलीफोन कॉल उठाया गया कि मुखबिर की बहन ने दुपट्टे से फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जीडी सं. 59ए द्वारा सूचना प्राप्त की गई और पुलिस मौके पर पहुँची।

3. यहाँ याचिकाकर्ता मृतक/माला का पति है। यह बताया गया कि मृतक पिछले चार महीनों से मकान नं. प्रथम तल, हरिजन बस्ती, आया नगर, नई दिल्ली में रह रही थी और उसने दुपट्टे से फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक/माला के शव को एम्स अस्पताल ले जाया गया और एमएलसी सं. 5869/2020 द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।

4. मृतक/माला की माँ और बहन के बयान दर्ज किए गए। उसने बताया कि मृतक की शादी अप्रैल, 2019 में उसकी इच्छा के अनुसार की गई थी। मृतक की बड़ी बहन द्वारा बताया गया कि उसे अपनी छोटी बहन पूजा का टेलीफोन कॉल आया कि माला/मृतक ने आत्महत्या कर ली है। उसने बताया कि जब वह मौके पर पहुँची, तो शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा

रहा था। उसने यह भी बताया कि मृतक का पति मृतक को परेशान करता था और पैसे के लिए पीटता था।

5. यह बताया गया कि मृतक ने आया नगर में एक दुकान किराए पर ली थी और लगभग एक महीने के बाद, याचिकाकर्ता उसे वापस लेने आया था और वे दोनों दुकान के पास एक किराए के आवास में रहने लगे।

6. यह बताया गया कि याचिकाकर्ता और मृतक रोज़ाना झगड़ा करते थे और याचिकाकर्ता ने एक बार उसे डराने के लिए चाकू निकाला था और पीटा था। मृतक की बड़ी बहन द्वारा यह बताया गया कि उसने याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों के कारण आत्महत्या की।

7. यह बताया गया कि याचिकाकर्ता मृतक से पैसे की माँग करता था और उसे परेशान करता था। यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता ने मृतक को कभी भी घरेलू खर्चों के लिए कोई पैसा नहीं दिया, उसके साथ नियमित रूप से झगड़ा करता, और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा भी उसे परेशान किया गया था।

यह बताया गया कि मृतक ने उसके साथ हुए उत्पीड़न के कारण आत्महत्या की।

8. आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और याचिकाकर्ता को छोड़कर अन्य सभी सह-अभियुक्तों को अग्रिम ज़मानत दी गई है।

9. याचिकाकर्ता 15.08.2020 से हिरासत में है। आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और यह मुद्दा कि क्या मृतक के साथ दहेज़ के कारण दुर्व्यवहार किया गया था वह एक विचारण का मामला है। यदि दोषी ठहराया जाता है तो याचिकाकर्ता को न्यूनतम सात साल के कारावास की सज़ा सुनाई जाएगी जो आजीवन तक बढ़ सकती है।

10. सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में ज़मानत देने के मापदंडों को निम्नानुसार निर्धारित किया हैः-

i. क्या यह मानने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था;

ii. आरोप की प्रवृत्ति और गंभीरता और दोषसिद्धि की स्थिति में सज़ा की गंभीरता;

iii. ज़मानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के फरार या भागने का खतरा;

iv. अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, पद और प्रतिष्ठा

v. अपराध की पुनरावृत्ति होने की संभावना, साक्षीगण के प्रभावित होने की उचित आशंका और, निश्चित रूप से, ज़मानत दिए जाने पर न्याय के विफल होने का खतरा होना।

प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशिष चटर्जी, **(2010) 14 एससीसी 496** का संदर्भ लें।

11. याचिकाकर्ता की समाज में प्रतिष्ठा है और फरार होने की संभावना नहीं है। उसके द्वारा साक्षीगण को प्रभावित करने की संभावना कम है क्योंकि शिकायतकर्ता मामले का अनुसरण कर रहे हैं और याचिकाकर्ता के अपराध को फिर से दोहराने की बहुत कम संभावना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और मुकदमे में लंबा समय

लगेगा, यह न्यायालय निम्नलिखित शर्तों पर याचिकाकर्ता को ज़मानत देने के लिए इच्छुक हैः-

i. याचिकाकर्ता को 50,000/- की राशि के मुचलका के साथ समान राशि के प्रतिभू को विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

ii. पक्षकारों के विवरण से पता चलता है कि याचिकाकर्ता मकान नं. 512, अशोक विहार, कांशीपुर, यमुना नगर, हरियाणा का निवासी है। ज़मानत पर रहने की अवधि के दौरान वह उसी पते पर रहेगा। उपरोक्त पते में किसी भी परिवर्तन को जाँच अधिकारी को सूचित किया जाएगा।

iii. याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने सभी मोबाइल नम्बरों को जाँच अधिकारी को दे और उन्हें हर समय कार्यात्मक रखे।

iv. याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करे या साक्षीगण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न करे।

v. उपरोक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन करने पर ज़मानत रद्द हो जाएगी।

12. उपरोक्त अवलोकनों में आवेदन को स्वीकार किया जाता है और उसका निपटान किया जाता है।

न्या., सुभ्रमोणयम प्रसाद

07 सितंबर, 2021
एचएसके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु आदेश का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|*